

प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

आयुर्वेद सेवार्ये,

उ०प्र० लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1

लखनऊ; दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय- राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बद्ध चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-766/2018-19/योजना; दिनांक 13.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-4252/71-आयुष-1-2015-551/2012, दिनांक 25.03.2015 द्वारा मूल्यांकित लागत रू०-4724.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू०-1721.918 लाख, शासनादेश संख्या-3/2017/4385/71-आयुष-1-2016-551/2012, दिनांक 09 मार्च, 2017 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू०-500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-1/2018/190/96-आयुष-1-2018-551/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2018 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू०-1200.44 लाख, कुल धनराशि रू०-3422.358 लाख अवमुक्त किया गया है।

3- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु मूल्यांकित लागत रू०-4724.37 लाख के सापेक्ष प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित प्रस्तावित लागत रू०-5823.84 लाख अनुमोदित किया गया।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष : 4210-01-800-05 के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रायोजना की मूल्यांकित लागत धनराशि रू०-5823.84 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू०-1094.18 लाख (रूपया दस करोड़ चौरानबे लाख अठ्ठारह हजार मात्र) अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- 1- आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
- 2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
- 3- प्रायोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपतियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।
- 5- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, कार्यदायी संस्था तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 का होगा।
- 6- परियोजना में प्रस्तावित कार्य/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 7- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गवर्नमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।
- 9- प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक तथा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
- 10- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
- 11- प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
- 12- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।
- 13- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- 14- सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
- 15- वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190/दस-2 017-231/2017 दिनांक-03.8.2017 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 16- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियाँ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 17- अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।
- 18- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 19- चतुर्थ किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की गुणवत्ता रिपोर्ट एवं निदेशक/प्राचार्य द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात ही अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

